

**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR**



S.B. Criminal Misc Suspension Of Sentence Application
No.86/2026

In

S.B. Criminal Revision Petition No. 309/2026

Girdhar S/o Devi Singh, Aged About 37 Years, R/o Saharai Road,
Police Station-Kotwali Deeg, District-Deeg, (Raj.) (The Accused
Person Is Presently Confined In Central Jail, Bharatpur)

-----Petitioner

Versus

The State Of Rajasthan, Through Its Public Prosecutor

-----Respondent

Connected With

S.B. Criminal Misc Suspension Of Sentence Application
No.77/2026

In

S.B. Criminal Revision Petition No. 294/2026

Yadu @ Sudarshan Son Of Shri Ballabh, Resident Of Saharai
Road, Kasba Deeg, Police Station Kotwali Deeg, District Deeg
(Rajasthan). (Presently Confine In Central Jail Sear, Bharatpur)

-----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through P.p.

-----Respondent

For Petitioner(s)	:	श्री हनी सैनी श्री विजय प्रताप शर्मा श्री राहुल सिनसिनवार
For Respondent(s)	:	श्री सुदेश कुमार सैनी, लोक अभियोजक मय श्री नवदीप सिंह

HON'BLE MR. JUSTICE VINOD KUMAR BHARWANI**Order****30-04-2026**

याचीगण/अभियुक्तगण की ओर से विचारण न्यायालय अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, डीग (भरतपुर) द्वारा नियमित फौजदारी प्रकरण संख्या-306/2014, राज्य बनाम गिरधर वगैरह में पारित निर्णय व दण्डादेश दिनांक 11.10.2018 व अपीलीय न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, डीग, राजस्थान द्वारा दण्डिक अपील संख्या- 102/2025, यदु व अन्य बनाम राजस्थान राज्य में पारित निर्णय व दण्डादेश दिनांक 28.01.2026 के विरुद्ध ये पृथक पृथक सजा स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किए गए हैं, जिसके द्वारा अभियुक्तगण को आरोपित अपराधों में दोषसिद्ध किया जाकर अर्थदण्ड सहित अधिकतम दो वर्ष के कठोर कारावास से दण्डित किया गया है ।

दोनों सजा स्थगन प्रार्थना पत्र एक ही निर्णय व दण्डादेश से संबंधित होने से इनका निस्तारण एक साथ किया जा रहा है ।

बहस सुनी गई ।

विद्वान अधिवक्ता याचीगण-अभियुक्तगण का तर्क रहा है कि विद्वान विचारण न्यायालय व अपीलीय न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का समग्र विवेचन व विश्लेषण किए बिना आक्षेपित निर्णय एवं दण्डादेश पारित किए गये हैं। उनका यह भी निवेदन है कि याचीगण विचारण के दौरान जमानत पर रहे हैं, वर्तमान में याचीगण दिनांक 28.01.2026 से लगातार अभिरक्षा में है, प्रस्तुत याचिकाओं के निस्तारण में समय लगेगा, अतः सजा स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जावें ।

इसके विपरीत विद्वान लोक अभियोजक ने सजा स्थगन प्रार्थना पत्रों का विरोध किया ।

हमने उभयपक्षों के तर्कों पर मनन किया, पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों, याचीगण की अभिरक्षा अवधि एवं याचिका के निस्तारण में समय लगने की संभावना को ध्यान में

रखते हुए गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किए बिना ये दोनों सजा स्थगन प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः याचीगण—अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत ये दोनों सजा स्थगन प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाकर आदेश दिया जाता है कि यदि प्रत्येक याची/अभियुक्त इस मामले में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद 50,000/— रूपए (अक्षरे पचास हजार रूपये) का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं 25,000—25000/—रूपए (अक्षरे पच्चीस—पच्चीस हजार रूपये) की दो सुदृढ़ एवं विश्वसनीय प्रतिभूतियां इस आशय की प्रस्तुत कर दे कि वह इस न्यायालय में दिनांक **01.06.2026** को एवं तत्पश्चात् जब भी उसे आदेशित किया जावे, उपस्थित होता रहेगा, तो याचीगण/अभियुक्तगण **1. गिरधर पुत्र श्री देवीसिंह व 2. यदु उर्फ सुदर्शन पुत्र श्री बल्लभ** को अविलम्ब जमानत पर रिहा कर दिया जाए।

विचारण न्यायालय व अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त आक्षेपित निर्णय के तहत दिए गए दण्डादेश (**sentence**) का क्रियान्वयन इन याचिकाओं के अन्तिम निर्णय तक स्थगित रखा जाता है।

(VINOD KUMAR BHARWANI),J